महत्वपूर्ण एवं खास

सात दिवसीय ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर 17 मार्च से

रायगढ़। खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायगढ़ द्वारा 17 से 23 मार्च तक सात दिवसीय ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रायगढ़ स्टेडियम बोईरदादर रोड, रायगढ़ के ताईक्वांडो हॉल में किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी उम्र के महिला एवं पुरूष भाग ले सकेंगे। यह प्रशिक्षण शिविर सायं 5.30 बजे से रात्रि 7 बजे तक आयोजित होगा, जो पूर्णरूप से नि:शुल्क है।

सात दिवसीय वॉलीबाल प्रशिक्षण शिविर 17 मार्च से

सारंगढ़-बिलाईगढ़। खेल एवं युवा कल्याण विभाग सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा 17 से 23 मार्च तक सात दिवसीय वॉलीबाल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन खेलभांठा मैदान सारंगढ़ में किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी उम्र के महिला एवं पुरूष भाग ले सकेंगे। यह प्रशिक्षण शिविर सायं 6.30 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित होगा, जो पूर्णरूप से नि:शुल्क है।

रोजगार दिलवाने का झांसा देकर तीन लाख की ठगी

कोरबा (आरएनएस)। बिजली कंपनी में मूल कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ पाने वाले एक कर्मचारी ने युवक को 3 लाख रुपए की चपत लगाई है। इसी कंपनी में रोजगार दिलवाने का झांसा देकर इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित पक्ष ने मामले की रिपोर्ट मानिकपुर पुलिस चौकी में की है। मुड़ापार में रहने वाले प्रमोद गुप्ता ने ठगी के मामले की लिखित शिकायत मानिकपुर पुलिस से की है। प्रमोद ने बताया कि कुछ समय पहले ढोडीपारा के गजेंद्र राठौर से उसकी जान पहचान हुई थी। परिचय होने के बाद उसने बिजली कंपनी में अपने प्रभाव की जानकारी दी और युवक को झांसे में ले लिया। बाद में नौकरी लगवाने की बात कही गई और तीन लाख रुपए ले लिए गए। नौकरी नहीं लगने पर राठौर से रुपयों की डिमांड की गई तो उसने चेक दिया जो बाउंस हो गया। पीड़ित ने बताया कि राठौर के द्वारा कई लोगों से इस तरह छल किया जा चुका है। इसलिए उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठगी के इस मामले के बारे में पूरी जानकारी मानिकपुर पुलिस चौकी को दी गई है।

तेंदुआ का आतंक शुरू, पड़वा का किया शिकार

कोरबा (आरएनएस)। कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज में हाथियों के बाद अब तेंदुआ का आतंक शुरू हो गया है। जंगल से अचानक धमके तेंदुआ ने यहां के तनेरा परिसर के ग्राम सेंदुरगढ़ में एक पड़वा भैंस के बच्चे को शिकार कर लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार तेंदुआ के हमले की यह घटना बुधवार को देर शाम घटित हुई। बताया जाता है कि सेंदुरगढ़ निवासी पंचम सिंह पिता दलई सिंह का पड़वा भैंस के बच्चे मवेशी रखने के लिए बनाए गए कोठा के पास घूम रहा था। तभी अचानक जंगल की ओर से तेंदुआ आ धमका और उस पर हमला करते हुए शिकार कर लिया। इतना ही नहीं पाड़ा को मारने के बाद तेंदुआ उसे काफी दूर तक घसीटाता हुआ ले गए। जानकारी होने पर ग्रामीणों ने शोर मचाया तो तेंदुआ पड़वा को मृत अवस्था में छोडक़र भाग निकला। इसकी तत्काल सूचना वन विभाग को दी गई। जिस पर उसके अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक कार्रवाई की। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पड़वा के मौत से पीड़ित मालिक वन्य प्राणियों के हमले में जानवरों की क्षति पर दिया जाने वाला मुआवजा का हकदार होगा। इसके लिए प्रकरण बनाकर वन मंडल कार्यालय कटघोरा भेजा जा रहा है।

हसदेव बांयी तट नहर के लिए 5.27 करोड़ की स्वीकृति

कोरबा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा कोरबा जिले के हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत हसदेव बांयी तट नहर के आरडी 0 मीटर से 100 मीटर तक बायपास एवं पावर केनाल का जीर्णोद्धार, सीसी लाईनिंग के मरम्मत तथा 100 मीटर से 4400 मीटर बायपास नहर के क्षतिग्रस्त सीसी लाईनिंग के मरम्मत के लिए 2 करोड़ 91 लाख 77 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर को प्रदान की गई है। इसी तरह जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा कोरबा जिले के कोरबा विकासखण्ड अंतर्गत हसदेव बांयी तट नहर के आरडी 4.80 किलोमीटर क्रास रेग्यूलेटर पर गेट फिटिंग कार्य हेतु 2 करोड़ 36 लाख 7 हजार रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर को प्रदान की गई है।

सही तरीके से रखे केसेस् में मिलता है न्याय, बड़ी अदालत में जाने से मिलती है राहत - तथागत श्रीवास्तव

रायगढ़। रायगढ़ जिला न्यायालय में जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव की एक अपील पर सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के एक आदेश पर तीखी टिप्पणी की। वर्तमान मे उक्त प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में अंतरित कर दिए जाने की भी सूचना है।

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के एक आप0 प्रकरण क्र0 558/2019 छग शासन वि0 कुसुम सिदार में पूर्व मे जो आरोप संस्थित किए गए थे उसे 13.04.2022 को अपास्त कर दिया गया था। जिसके बाद से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा न्यायिक कार्यवाही को अनावश्यक ही लंबित रखा जा रहा था।

जिससे क्षुब्ध होकर कुसुम सिदार ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव के माध्यम से धारा 397 दंड प्रक्रिया 1973 के तहत न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 558/2019 छ.ग. राज्य विरूद्ध कुसुम सिदार के दिनांक 25 नवंबर 2021 के एक आदेश के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की। जिसमें जिले के जाने माने अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव ने कुसुम सिदार की तरफ से कई तथ्यों को पेश करते हुए यह बताया था कि न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी के समक्ष इस प्रकरण में उनकी मुव्वकील पेश होती रही है और न्यायालय में इस पक्ष को ध्यान में न रखते हुए यह दर्शाया गया था कि वे समय मांग रहे हैं जबकि इस प्रकरण की सुनवाई पूर्व में की जा चुकी थी। इतना ही नही अधिवक्ता ने कुमारी कुसुम सिदार की तरफ से कई महत्वपूर्ण तथ्य भी इस अपील में रखे थे जिस पर जिला सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी के उपर गंभीर टिप्पणी व्यक्त करते हुए विचारण न्यायालय की कार्यवाही को अनौचित्य पूर्ण ठहराया और अब अपै्रल माह में इसकी सुनवाई अन्य कोर्ट में होगी।

यहां यह बताना लाजमी होगा कि जिले में प्रथम श्रेणी न्यायालय में कई प्रकरण पर पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद रहती है पर सही ढंग से तथ्यों को नही रखने से उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उसके बाद हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। लेकिन कई ऐसे जटिल मामले हैं जिन पर अगर सही ढंग से कानून में बनी धाराओं का उपयोग करते हुए विद्वान न्यायाधीश के सामने रखा जाए तो यह पता चलता है कि न्याय मिलता है, जैसा कि इस प्रकरण में हुआ है। निचली अदालतों में पीड़ितों को न्याय मिलने में बरसो लग जाते हैं और कई बार तो उनकी सुनवाई नही तक नहीं होती, पर इस प्रकरण से यह बात साफ हो गई कि सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्त ने धारा 397 की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने ही अधीनस्थ न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी की सुनवाई पर गंभीर टिप्पणी की है। जिले के स्वास्थ्य कार्यकर्ता कुसुम सिदार एक गरीब व आदिवासी लड़की है, जिनके उपर 294, 506, 323, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसमें कई गंभीर त्रुटियां पुलिस जांच में हुई थी और पुलिस जॉच के आधार पर जो चालान प्रस्तुत किया गया था, उसके सापेक्ष में आरोप संस्थित किए गए थें, जिसे 30/04/2022 को बड़ी अदालत के द्वारा अपास्त किया गया था। जिसके बाद भी कुसुम को लगातार अनावश्यक अदालत आना पड़ रहा था जो कि उसके लिए मानसिक त्रासदी बन रहा था जिसपर वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव ने उनकी पैरवी करते हुए न्याय दिलवाने में बड़ी पहल की है।

मौसम का बदला मिजाज, कई जिलों में बारिश की संभावना

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में हो रही वृद्धि पर जहां अचानक मौसम में आए बदलाव से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात से कई जिलों में रूक रूककर हो रही बारिश से कई जिलों में हल्की बारिश के साथ आगामी 24 घंटों में आंधी तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक चंद्रा के अनुसार प्रदेश में आने वाले चार दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवाओं व इरान में बने निम्र दाब के चक्रवाती सिस्टम के चलते पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अचानक तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मध्य स्तर पर पश्चिमी द्रोणिका का प्रभाव भारत सहित आसपास के एशियाई देशों में 16 से 20 मार्च तक रहने की संभावना है। आज सुबह से ही रायपुर सहित अधिकांश जिलों में आसमान घने बादलों से घिरे होने के कारण नगर में बूंदाबांदी दर्ज की गई। वहीं हल्की बौछार दुर्ग एवं आसपास के क्षेत्र में होने की जानकारी प्राप्त हुई है।

चोरी की 2 नग समर्सिबल पंप के साथ चार आरोपी गिरफ्तार, पूंजीपथरा पुलिस की कार्यवाही

रायगढ़। दिनांक 06.03.2023 के सुबह पूंजीपथरा थाने की पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम बरपाली में तेजराम कलांगा के घर से चोरी की 02 नग समर्सिबल पंप बरामद किया गया है। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक जितेन्द्र एसैया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बरपाली का तेजराम कलांगा अपने घर पर चोरी की समर्सिबल पंप रखा है जिसे बेचने कुछ लोगों से चर्चा किया है। थाना प्रभारी ने थाने के पेट्रालिंग को तत्काल संदेही तेजराम कलांगा के घर जाकर तस्दीक करने का निर्देश दिये। पेट्रोलिंग टीम संदेही तेजराम के घर जाकर उससे पूछताछ करने ग्राम जिवरी के विशेश्वर मांझी, आनंदराम मांझी और पालू राम निषाद के साथ मिलकर समर्सिबल पंप की चोरी करना बताया जिसके बाद अन्य आरोपियों को पुलिस दबिश देकर हिरासत में ली। आरोपियों के पास से 02 नग समर्सिबल पंप कीमती रु.20,000 का जप्त कर पंप के चोरी के संपत्ति होने की अंदेशा पर आरोपी- विश्वेश्वर मांझी पिता गोविंद राम मांझी 28 साल, आनंद राम मांझी पिता मोहनलाल मांझी 28 साल, पालू राम निषाद पिता डीलेश्वर प्रसाद निषाद 35 साल सभी निवासी जिवरी थाना पूंजीपथरा और तेजराम कलांगा पिता अमीर सिंह कलांगा उम्र 28 साल निवासी बरपाली थाना पूंजीपथरा पर थाना पूंजीपथरा में धारा 41(1+4)CrPC/379 IPC के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

तीन सट्टा खाईवाल समेत 19 सटोरिए गिरफ्तार, 30,020 रुपए नगदी जब्त

- एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर साइबर सेल की सटोरियों पर एक और बड़ी कार्यवाही
- थाना कोतवाली और चक्रधरनगर में आरोपियों पर जुआ एक्ट के साथ पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा जिले के समस्त थाना, चौकी प्रभारियों तथा साइबर सेल की टीम को सट्टा खाईवालों और सट्टा पट्टी लिखने वालों पर प्रभावी कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। निर्देशों के पालन में आज एडिशनल एसपी संजय महादेवा एवं साइबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर साइबर सेल की टीम आज अपने सक्रिय मुखबिरों से जानकारी जुटाकर थाना कोतवाली और चक्रधरनगर क्षेत्र में सट्टा पट्टी लिखने वालों की मिली सूचना पर सिलसिलेवार तरीके से रेड कार्यवाही किया गया है जिसमें तीन सट्टा खाईवाल- मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू निवासी मधुबनपारा रायगढ़, उदय बरेठ निवासी सुपा पुसौर तथा हेमराज बरेठ कबीरचौंक जूटमिल समेत 19 सट्टा-पट्टी लिखने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे सट्टा (जुआ) में लगी नगद रकम रु.30,020 नकद जप्त कर जुआ सामग्री पेन केलकुलेटर रजिस्टर के साथ करीब रु.5,00,000 का सट्टा-पट्टी विवरण का हिसाब किताब मिला है।

सायबर सेल की सट्टा रेड कार्यवाही में कोतवाली क्षेत्र में 10 सटोरिए तथा चक्रधरनगर क्षेत्र में 9 सटोरियों को रंगे हाथ सट्टा पट्टी रकम नोट करते पकड़ा गया है जिन पर संबंधित थाने में धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत के तहत कार्यवाही के साथ पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। सट्टा रेड कार्यवाही में साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, प्रदीप गहलोत, बृजलाल गुर्जर, आरक्षक धनंजय कश्यप, प्रशांत पंडा, पुष्पेंद्र जटवार, महेश कुमार पंडा, नवीन शुक्ला, नंद कुमार पैकरा, प्रताप बेहरा, प्रदीप तिवारी, साविल चंद्रा, सुरेश सिदार, मुकेश यादव, विकास प्रधान और महिला आरक्षक मेनका चौहान शामिल थे।

जिले के समस्त विकासखण्डों में मनाया जा रहा विश्व ग्लुकोमा सप्ताह

- ग्लुकोमा से होने वाली समस्या एवं उससे बचाव के बारे में दी जा रही जानकारी
- ग्लुकोमा की प्राथमिक जॉच एवं उपचार जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द, जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में किया जाता है नि:शुल्क इलाज

रायगढ़। राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति वर्ष 12 से 18 मार्च तक विश्व ग्लुकोमा दिवस मनाया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के निर्देशानुसार एवं डॉ.मीना पटेल नोडल अधिकारी (अंधत्व) के दिशा-निर्देशन में रायगढ़ सहित जिले के समस्त विकासखण्डों में जन-जागरूकता लाने 12 मार्च से विश्व ग्लुकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विशेष रूप से बुनकर समूह सदस्यों के नेत्र का परीक्षण 14 मार्च को ग्राम-मुरा में किया गया। जहां 70 सदस्यों का जॉच कर 40 प्रेषबायोपिक चश्मा वितरण किया गया। इसी प्रकार 15 एवं 16 मार्च को रायगढ़ में बुनकर समूह के 100 सदस्यों का नेत्र जॉच कर 70 सदस्यों को नि:शुल्क प्रेषबायोपिक चश्मा वितरण किया गया। उपस्थित सदस्यों को नेत्र में ग्लुकोमा से होने वाली समस्या एवं उससे बचाव के बारे में जानकारी दी गई।

यह बीमारी सामान्यत: 40 वर्ष के बाद शुरू होती है, आँख में एक तरल पदार्थ (एक्वस) भरा होता है यह तरल पदार्थ आँख के गोले को चिकना बनाए रखता है यदि इस तरल पदार्थ का रिसाव रूक जाये तो आंख के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। जिससे प्रभावित आँखों में दाब सहने की क्षमता से अधिक हो जाता है फलस्वरूप नेत्र के पर्दे की तंतु को क्षति पहुंचाती है। जिससे दृष्टि चली जाती है। इस बीमारी से दृष्टि खराब होने के बाद उसका कहीं उपचार नहीं हो सकता है। इसे (काला मोतिया) भी कहा जाता है। ग्लुकोमा दो प्रकार के होते हैं एक प्रकार के ग्लुकोमा में आँख में तेज दर्द होता है, आँख लाल हो जाती हैं और दृष्टि कमजोर हो जाती है, जिसे एक्यूट कंजस्टिव ग्लॉकोमा कहा जाता है। इसका उपचार तुरंत कराने से कुछ दृष्टि वापस आ सकती है। दूसरे प्रकार के ग्लुकोमा में रोगी की आँख में दर्द नहीं होता और न आँख लाल होती है केवल दृष्टि धीरे-धीरे कम होने लगती है। नजदीक के चश्मे का नम्बर जल्दी-जल्दी बढ़ता है या कम उम्र में ही पढने में कठिनाई होने लगती है। दृष्टि के चारों तरफ का दायरा भी कम होता जाता है। डार्क एडाप्टेशन टाईम (उजाले से अंधेरे में जाने पर आँखों को अंधेरे का अभ्यस्त होने में लगने वाला समय) बढने लगता है। व्यस्कों में परिधीय दृष्टि की हानि होती है। दूर के प्रकाशीय आब्जेक्ट को देखने पर आब्जेक्ट के चारों ओर सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसका निदान यह है कि 40 वर्ष उम्र के सभी व्यक्तियों को कम से कम साल में एक बार अपनी आंख की जांच नेत्र विशेषज्ञ से अवश्य कराना चाहिए। यदि ग्लुकोमा बीमारी की जानकारी हो जाती है तो दवाओं या ऑपरेशन से इसे नियंत्रण में रखा जा सकता है जो कि सामान्यत: दवाईयों से ही यह नियंत्रित हो जाता है। ऑपरेशन तभी करते हैं जब यह दवा से नियंत्रण में नहीं रहता या रोगी दवा नहीं डाल सकता या दवा नहीं खरीद सकता।

कार्यक्रम में अर्जुन बेहरा, राजेश अचार्य, रामजी लाल पटेल, चंद्रशेखर साहू, अनुप पटेल एवं आशा लकड़ा नेत्र सहायक अधिकारियों द्वारा नेत्र परीक्षण कर ग्लुकोमा संबंधी जानकारी दिया गया। ग्लुकोमा की प्राथमिक जॉच एवं उपचार जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में नि:शुल्क किया जाता है।

लैलूंगा और घरघोड़ा कॉलेज में महिला रक्षा टीम का अभिव्यक्ति जागरूकता कार्यक्रम

रायगढ़। अभिव्यक्ति जागरूकता कार्यक्रम के क्रम में आज जिला पुलिस की महिला रक्षा टीम द्वारा घरघोड़ा के डॉ0 भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय और लैलूंगा के शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, कुंजारा में "अभिव्यक्ति जागरूकता कार्यक्रम" के तहत छात्राओं, महिलाओं को महिलाओं पर घटित अपराधों की जानकारी देकर पीड़ित को प्राप्त होने वाली विधिक सहायता आदि की जानकारी दिया गया। रक्षा टीम प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक मंजू मिश्रा द्वारा छात्राओं को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग व सोशल मीडिया के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपाय बताए, साथ ही साइबर अपराधों, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से हो रहे सायबर अपराध के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया तथा महिलाओं और छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में विस्तार से बताकर उनके मोबाइल पर अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के अलावा गांव की मितानीन, प्रतिष्ठित महिलाएं, कॉलेज की अध्यापिका, रक्षा टीम की महिला आरक्षक इंदुलता, आराधना और रोजमेरी शामिल थे।

रीपा गौठानों का कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के दिए निर्देश

- उचित राम ने कलेक्टर से कहा-घर मे आत हे पानी, हो गिस बड़ सुविधा
- स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु किए जा रहे कार्यों को समयावधि में पूर्ण नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही
- अविवादित राजस्व मामलों के निराकरण में अनावश्यक न करें विलंब
- कलेक्टर सिन्हा ने किया घरघोड़ा विकासखण्ड में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा जिले में चल रहे विभिन्न निर्माण, रोजगार मूलक एवं जनसामान्य से संबंधित कार्यों का नियमित मॉनिटरिंग कर रहे है। जिससे कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सके। इसी क्रम में उन्होंने घरघोड़ा विकासखण्ड में चल रहे जल जीवन मिशन, रीपा गौठान, स्वास्थ्य केन्द्र एवं तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिन्हा ग्राम-छर्राटांगर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। वे उचित राम के घर पहुंचे एवं उनसे बात करते हुए पूछा कि पहली कहा ले पानी लावत रेहे, उन्होंने बताया कि पहली दुरिया रीहिस अब घर मा पानी आवत हे, दिन में दू-तीन बेर पानी आथे, बड़ सुविधा हो गिस हे। जिस पर कलेक्टर सिन्हा ने कहा अइसने सुविधा बर पईसा दे बर लागही, जिस पर उचित राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुविधा मिलथ हे ता पईसा देबेच करबो। उन्होंने कलेक्टर सिन्हा को घर पहुंच पेयजल मिलने पर धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने सरपंच एवं ग्रामीणों से जल जीवन मिशन के अंतर्गत के कार्यों की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कार्य की गुणवत्ता बेहतर है। कलेक्टर सिन्हा ने पीएचई से वर्तमान कार्य की प्रगति की जानकारी ली, विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में लगभग 480 कनेक्शन दे दिया गया है एवं शेष कार्य प्रगतिरत है। कलेक्टर सिन्हा ने सरपंच से जल जीवन मिशन के सुचारू क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर जलकर की राशि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्राप्त राशि से भविष्य में ग्राम पंचायत द्वारा जल जीवन मिशन के संचालन हेतु आवश्यक संसाधन, बिजली बिल एवं मैन पॉवर की समुचित व्यवस्था की जा सके।

कलेक्टर सिन्हा ग्राम-बैहामुड़ा स्थित आदर्श गोठान पहुंचे, यहां उन्होंने रीपा के तहत विकसित किए जा रहे हैं अधोसंरचना निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन मिनी राइस मिल, आयल मिल, ट्रेनिंग सेंटर, मशरूम सेंटर, कोसा यूनिट के निर्माण कार्यों की समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुर्गी पालन करने वाली गोवर्धन महिला समूह से चर्चा की एवं प्राप्त आय की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में संलग्न एजेंसी को कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में कलेक्टर सिन्हा घरघोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, वहां उन्होंने निर्माणाधीन एनआरसी, मीटिंग हॉल, ओपीडी जैसे विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से चर्चा कर निर्माण कार्यों की समय-सीमा की जानकारी ली। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु किए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता से किया जाए, क्योंकि यह जनहित का कार्य है अत: इसमें गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के मूलभूत संसाधनों की जानकारी ली तथा डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां लिखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिन्हा ने घरघोड़ा तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब न करें एवं प्रकरणों का निपटारा अतिशीघ्र करें। कलेक्टर सिन्हा ने नायब तहसीलदार कोर्ट के प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने आरआई से सीमांकन के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली तथा आरआई को निर्देशित किया कि कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करें, ताकि जनसामान्य को राजस्व प्रकरणों में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480